

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District
(जिला):

ACB DISTRICT

P.S.
(थाना):

C.P.S Jaipur

Year
(वर्ष):

2025

2. FIR No.
(प्र.सू.रि.सं):

0099

Date and Time of FIR
(एफआईआर की तिथि/समय):

24/04/2025 17:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन

Date From
(दिनांक से): 26/11/2024

Date To
(दिनांक तक): 18/12/2024

Time Period
(समय अवधि): पहर

Time From
(समय से): 12:10 बजे

Time To
(समय तक): 16:30 बजे

(b) Information received at P.S.
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date
(दिनांक): 24/04/2025

Time
(समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference
(रोजनामचा संदर्भ) :

Entry No.
(प्रविष्टि सं.): 002

Date & Time
(दिनांक एवं समय) 24/04/2025 17:33:28 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.
(थाने से दिशा और दूरी):

WEST, 92 किमी

Beat No.
(बीट सं.):

NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): UP PANJEEYAK KARYALYA, BIDASAR CHURU

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name(नाम): PRBHURAM
- (b) Father's Name (पिता का नाम): HULASARAM MEGHWAL
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 01/01/1989 (d)Nationality(राष्ट्रियता): INDIA
- (e) UID No(यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
- Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN DHIGARIYA, BIDASAR, BIDASAR, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN DHIGARIYA, BIDASAR, BIDASAR, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GANESH KUMAR KHICHAR		पिता:SANWATARAM	1. GRAM MAINASAR,RATANGARH,CHURU,RAJASTHAN,INDIA
2	JHUMARMAL		पिता:DEEPRAM	1. WARD NO. 02 SDM KARYALAKE PASS,BEEDASAR,CHURU,RAJ

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	6,500.00
---	------------------	-------	----------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,500.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, महोदय, हालात इस प्रकार है कि श्री प्रभूराम मेघवाल व नेतराम मेघवाल निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू ने दिनांक 26.11.2024 को एसीबी चौकी चूरू में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट उप अधीक्षक पुलिस को पेश की कि “मैं प्रभूराम पुत्र हुलासाराम जाति मेघवाल निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू का निवासी हूँ। मेरे पिता हुलासाराम के नाम खेत खसरा नम्बर 540/135 व खसरा नम्बर 542/364 में 20 बीघा के लगभग जमीन रोही ढिगारिया में स्थित है। जिसमें से मेरे पिता हुलासाराम ने दो बीघा जमीन चैनाराम मेघवाल को विक्रय कर दी थी व चैनाराम के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी। मेरे पिता ने भूलवश कुल 20 बीघा जमीन मुझे गिफ्ट कर दी थी। मैं व नेतराम दोनों ने भूल सुधार कर रिकार्ड दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार बीदासर को शुद्धि पत्र हेतु आवेदन किया था जिन्होंने प्रार्थना पत्र कार्यवाही हेतु गणेश पंजीयन लिपिक को दे दिया। हम 21.11.2024 को गणेश लिपिक से मिले तो उसने रिकार्ड शुद्धि करने के एवज में मेरे से 9,000 रुपये रिश्त की मांग की। मैं गणेश को रिश्त नहीं देना चाहता व रिश्त लेते पकड़वाना चाहता हूँ। मैं नेतराम को समस्त कार्यवाही के लिए अधिकृत करता हूँ। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी-प्रभूराम पुत्र हुलासाराम मेघवाल निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू ” परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मजीद पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को सही होना व उक्त रिपोर्ट नेतराम मेघवाल द्वारा लिखित एवं स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला रिश्त मांगने का पाया गया। परिवादी श्री प्रभूराम को आरोपी से रिश्त मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी प्रभूराम व सह परिवादी नेतराम ने बताया कि गणेश लिपिक हमें आज तहसील कार्यालय बीदासर में मिल सकता है। जिससे हम आज ही रिश्त मांग के सम्बन्ध में बात कर वार्ता रिकार्ड कर सकते है। इस पर चौकी के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि परिवादीगण को समझा कर जरिये फर्द सुपुर्द कर बाद आवश्यक हिदायत कानि0 प्रवीण कुमार को रिश्त मांग वार्ता के सत्यापन हेतु हमराह भेजा गया। कानि. प्रवीण कुमार द्वारा रिश्त मांग सत्यापन वार्ता उपरान्त एसीबी चौकी चूरू आकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि परिवादीगण व मैं तहसील बीदासर पहुंच दोनों को वार्ता करने पंजीयन लिपिक गणेश के पास भेजा गया। करीब डेढ घंटा बाद दोनों परिवादीगण वापस आए व वार्ता का वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि हमारी आरोपी गणेश जी से रिश्त के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है जिन्होंने हमारे कार्य के लिए 6,500 रुपये रिश्त लेने के लिए सहमत हो गये है। परिवादीगण के आवश्यक कार्य होने से वह साथ नहीं आये है। कानि0 प्रवीण कुमार द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकार्डर को आईन्दा परिवादीगण के हाजिर आने पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु सुरक्षित रखा गया। दिनांक 28.11.2024 को परिवादीगण प्रभुराम व नेतराम हाजिर चौकी आये। सत्यापन वार्ता दिनांक 26.11.2024 का वॉईस रिकार्डर निकाल कर वॉईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर दोनों परिवादीगण एवं प्रवीण कुमार कानि. के समक्ष रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता में आरोपी गणेश पंजीयन लिपिक द्वारा परिवादी के कार्य हेतु 6500 रुपये रिश्त मांगने की पुष्टि हुई। सत्यापन वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को लेपटॉप में डाउनलोड कर मैमोरी कार्ड को निकाल कर कपड़े की थैली में सीलड कर मार्क A अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। डाउनलोड वार्ता को दो डीवीडी में डाउनलोड कर एक डीवीडी को कपड़े की थैली में सीलड कर मार्क A-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये तथा दुसरी डीवीडी को खुला रखा गया। परिवादीगण को दिनांक 29.11.2024 को रिश्त राशि सहित चौकी आने के निर्देश देकर रुखसत दी गई। दिनांक 29.11.2024 को परिवादीगण प्रभुराम व नेतराम रिश्त राशि 6,500 रुपये लेकर हाजिर चौकी आये। आमदा दोनों गवाह श्री विजयपाल एवं प्रवेश कुमार के समक्ष परिवादी प्रभुराम द्वारा प्रस्तुत 6,500 रुपये (पांच-पांच सौ रुपये के तेरह नोट) पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कर सभी नोटों पर कानि. राजकुमार से फिनोलफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी प्रभुराम के बताये अनुसार सहपरिवादी नेतराम के पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादीगण को आवश्यक हिदायत दी गई एवं आरोपी द्वारा रिश्त प्राप्त कर लेने पर ईशारा बताया गया। कानि. राजकुमार के हाथ की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त धोल में धुलवाया जाकर परिवादीगण एवं गवाहान को फिनोलफथलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रक्रिया का दृष्टान्त देकर महत्व समझाया गया। सहपरिवादी नेतराम को रिश्त लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड

करने के लिये वॉईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड लगाकर सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोलफथलीन पाउडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 10.00 एएम पर मन् महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री प्रभूराम, सहपरिवादी नेतराम, गवाह श्री विजयपाल व प्रवेश कुमार तथा ट्रेपदल सदस्य श्री ईसब अली एसआई, गिरधारीसिंह सउनि, आबिद खान व कृष्ण सिंह हैडकानि0, श्रवण कुमार, बसन्त सिंह, रिपेन्द्र सिंह, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार कानिगण व प्रमोद पूनियां क.स. के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व प्राईवेट वाहन संख्या आरजे 10 यूबी 0658 मय चालक सिकन्दर खान के लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि सामग्री हमराह लेकर वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना होकर बीदासर में डूंगरगढ सड़क पर तहसील कार्यालय से पहले पहुंच परिवादीगण को आवश्यक निर्देश देकर आरोपी गणेश पंजीयन लिपिक से सम्पर्क करने रवाना किया। पीछे-पीछे कृष्ण सिंह हैडकानि. व प्रवीण कुमार कानि. को रवाना किया। मैं पुलिस निरीक्षक, दोनों गवाहान व दीगर जासे के तहसील कार्यालय के आस-पास ही परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुए। काफी देर बाद दोनों परिवादीगण तहसील कार्यालय से बाहर आये व बिना ईशारा किये ही बीदासर कस्बे की तरफ रवाना हुए, इस पर उनके पीछे-पीछे रवाना होकर दोनों को गाड़ी में बैठाकर छापर रोड पर पहुंचा तो सहपरिवादी नेतराम ने बताया कि तहसील कार्यालय में जाकर मालूमात किया तो गणेश बाबू कार्यालय में नहीं आया था, काफी देर बाद वह आया व उससे वार्ता की तो उसने रिश्वती राशि फिलहाल स्वयं के पास रखने की कही। पुनः थोड़ी देर बाद वार्ता की तो उसने कहा कि तु तेरे पास ही रख ले, मैं अपने आप तेरे से ले लूंगा या ई-मित्र वाले झुमर को दे दे। इस पर परिवादी प्रभूराम ने ई-मित्र वाले झुमर को राशि देने के लिये मना किया व कहा कि झुमर को रिश्वत राशि नहीं देंगे। आरोपी गणेश अपने अधिकारी के साथ साईड में चला गया। इस पर सहपरिवादी नेतराम की जेब में रखी रिश्वत राशि गवाह से निकलवाई जाकर लिफाफे में डालकर सुरक्षित रखी गई। परिवादीगण को निर्देश दिया कि पंजीयन लिपिक पुनः रिश्वत के लिये सम्पर्क करे तो तुरन्त ही मन् पुलिस निरीक्षक को बताये। परिवादीगण को आरोपी से हुई रिकॉर्डेड वार्ता की फर्द बनाने के लिये साथ चलने के लिये कहा तो उन्होंने बताया कि उनके घर पर कल अत्यावश्यक कार्य है। अतः आइन्दा समय मिलते ही सम्पर्क कर चूरू आ जायेंगे। इस पर परिवादीगण को छापर में रूखसत देकर मैं पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व जासे के रवाना होकर चौकी चूरू पहुंचा। रिकॉर्डेड वार्ता का वॉईस रिकॉर्डर व रिश्वत राशि का लिफाफा सुरक्षित रखा गया। दोनों गवाहान व जासे को पूर्ण गोपनीयता रखने बाबत हिदायत कर गवाह को रूखसत दी गई। दिनांक 02.12.2024 को परिवादीगण प्रभूराम व नेतराम हाजिर चौकी आये व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी तक पंजीयन बाबू गणेश का कोई फोन नहीं आया है। दिनांक 29.11.2024 को रिकॉर्डेड वार्ता की वॉईस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर दोनों परिवादीगण व प्रवीण कुमार कानि. के समक्ष वार्ता को सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कम्प्यूटर में डाउनलोड कर मैमोरी कार्ड को निकाल कर कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क B अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। डाउनलोड वार्ता को दो डीवीडी में डाउनलोड कर एक डीवीडी को कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क B-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये तथा दुसरी डीवीडी को खुला रखा गया। दिनांक 29.11.2024 को रिकॉर्डेड वार्ता में आरोपी श्री गणेश पंजीयन लिपिक के कहने पर बीदासर तहसील कार्यालय परिसर में स्थित ई-मित्र के मालिक श्री झुमरमल द्वारा परिवादी प्रभूराम व सहपरिवादी नेतराम से पंजीयन लिपिक के लिए रिश्वत मांगने की बात कही गई है। आरोपी गणेश ने भी रिश्वती राशि ई-मित्र वाले झुमर को दे देने बाबत कहा है। परिवादीगण ने बताया कि दिनांक 03.12.2024 को गणेश बाबू तहसील कार्यालय में हमें मिल सकता है जिससे हमारे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत हो सकती है। जिस पर परिवादीगण को दिनांक 03.12.2024 को सुबह पुनः कार्यवाही हेतु चौकी आने के निर्देश देकर रूखसत दी गई। दिनांक 03.12.2024 को परिवादीगण प्रभूराम व नेतराम हाजिर चौकी आये व बताया कि पंजीयन लिपिक गणेश से मैं हमारे कार्य के लिये आज पुनः वार्ता करूंगा हो सकता है वह हमारे से रिश्वत राशि ले ले। इस पर दोनों गवाहान को तलब कर उनके समक्ष लिफाफे में रखी रिश्वत राशि 6500 रुपये संभालकर कानि. राजकुमार से सहपरिवादी नेतराम की पेंट की जेब में रखवाकर आवश्यक निर्देश देकर ईशारे बाबत बताया गया तथा मैं महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री प्रभूराम, सहपरिवादी नेतराम, गवाह श्री विजयपाल व प्रवेश कुमार तथा ट्रेपदल सदस्य श्री ईसब अली एसआई, गिरधारीसिंह सउनि, आबिद खान व कृष्ण सिंह हैडकानि0, श्रवण कुमार, बसन्त सिंह, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार कानिगण के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व प्राईवेट वाहन संख्या आरजे 10 यूबी 0669 मय चालक संजय प्रजापत के लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि सामग्री हमराह लेकर वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही के लिये चूरू से रवाना होकर तहसील कार्यालय बीदासर के पीछे पहुंचा। परिवादीगण प्रभूराम व नेतराम को आवश्यक निर्देश देकर तहसील कार्यालय के लिये आरोपी से सम्पर्क करने रवाना किया। पीछे-पीछे कानि. प्रवीण कुमार, राकेश कुमार व ईसब अली को रवाना किया। मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाह व दीगर जासे के तहसील कार्यालय के आस-पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुआ। काफी देर बाद दोनों परिवादीगण बिना ईशारा किये ही तहसील कार्यालय से बाहर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आये। दोनों को गाड़ी में बैठाकर छापर रोड पर पहुंचा तो सहपरिवादी नेतराम ने बताया कि मैं व प्रभूराम तहसील कार्यालय बीदासर के सामने ई-मित्र वाले झुमर के पास पहुंचे तो अचानक गणेश जी आ गये। मैंने काम के सम्बन्ध में उनसे बात करनी चाही तो उन्होंने मेरा काम करने से मना कर दिया व झुमर के पास रखे हुए मेरे कार्य के कागजात की फोटो

प्रति मुझे वापस दी और चले गये। ई-मित्र वाले झुमर ने भी हमारे काम के सम्बन्ध में रिश्त के बारे में कोई बात नहीं की। हमने पुनः झुमर से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने बात नहीं की। गणेश बाबू व झुमर द्वारा हमारे से कार्य के सम्बन्ध में बात नहीं करने के कारण वॉईस रिकॉर्डर चालू नहीं किया। इस पर ट्रेप कार्यवाही नहीं होने के मध्यनजर सहपरिवादी नेतराम की जेब में रखी रिश्त राशि गवाह से निकलवाई जाकर लिफाफे में डालकर सुरक्षित रखी गई। परिवादीगण से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बाद आवश्यक हिदायत कर रूखसत देकर मैं पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व जासे के रवाना होकर चौकी चूरू पहुंचा। रिश्त राशि का लिफाफा सुरक्षित रखा गया। दोनों गवाहान व जासे को पूर्ण गोपनीयता रखने बाबत हिदायत कर गवाह को रूखसत दी गई। दिनांक 18.12.2024 को सहपरिवादी नेतराम हाजिर चौकी आया व बताया कि पंजीयन लिपिक गणेश ने अभी तक उससे सम्पर्क कर वार्ता नहीं की है। शायद उसे कोई संदेह हो गया है। इसलिए अब मैं आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहता। सहपरिवादी की लिखित रिपोर्ट पर रिश्त राशि 6500 रुपये उसे वापस लौटाये गये। उक्त कार्यवाही में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री प्रभूराम मेघवाल निवासी डिगारिया तहसील बीदासर के पिता हुलासाराम ने अपने खातेदारी की दो बीघा जमीन चैनाराम मेघवाल को विक्रय कर उप पंजीयक कार्यालय बीदासर में रजिस्ट्री करवा दी। तत्पश्चात सम्पूर्ण 20 बीघा जमीन परिवादी के पिता ने भूलवश परिवादी प्रभूराम के नाम गिफ्ट कर गिफ्ट डीड पंजीकृत करवाई जिसके लिए परिवादी व सहपरिवादी ने भूल सुधार कर रिकार्ड दुरुस्त करवाने हेतु तहसीलदार बीदासर को आवेदन किया। उक्त गिफ्ट डीड में भूल सुधार कर रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए श्री गणेश पंजीयन लिपिक बीदासर द्वारा अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न आरोपी झुमरमल ई-मित्र वाले से मिलकर परिवादीगण से 6,500 रुपये रिश्त की मांग कर रिश्त राशि लेने के लिए सहमत हुए। इस प्रकार आरोपी श्री गणेश पंजीयन लिपिक व झुमरमल पुत्र श्री दीपाराम जाट निवासी वार्ड नं0 02 बीदासर जिला चूरू का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपीगण श्री गणेश पंजीयन लिपिक, तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरू व झुमरमल पुत्र श्री दीपाराम जाट निवासी वार्ड नं0 02 बीदासर जिला चूरू के विरुद्ध धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री गणेश कुमार खीचड़ पुत्र श्री सांवताराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम मैणासर, तहसील रतनगढ जिला चूरू हाल वरिष्ठ सहायक, पंजीयन कार्यालय बीदासर जिला चूरू एवं 2- श्री झुमरमल पुत्र श्री दीपाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 02 एसडीएम कार्यालय के पास बीदासर जिला चूरू (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती शालू विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 361 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 567-70 दिनांक 24.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2. जिला कलक्टर चूरू। 3. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

SHALU BISHNOI

Rank

(पद):

निरीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/04/2025 17:32:55


15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/07/1993				
2	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दौत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)